भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1435

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

भ्रष्टाचार के मामले

1435. श्री खगेन मुर्मू:
डॉ॰ सुकान्त मजूमदार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध लगातार भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना मिली है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के, प्रवर्तन निदेशालय और मंत्रालय के अधीनस्थ अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं; और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग से कोई पत्र प्राप्त हुआ है लेकिन जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में भ्रष्टाचार-मुक्त कर-प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क): जी हाँ। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), व्यक्तियों और अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का समाधान सीवीसी और डीओपीटी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्त वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2016	1715
2	2017	1508
3	2018	1441

(ii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा चलाए गए अभियोजन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्त वर्ष	अभियोजन के मामलों की संख्या
1	2016	29
2	2017	15
3	2018	40

(iii) राजस्व मुख्यालय की सतर्कता शाखा भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारियों के विरुद्ध तीन अनुशासनात्मक मामलों की जांच कर रही है।

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत चलाए गए अभियोजन के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्त वर्ष	मामलों की संख्या
1	2015	11
2	2016	9
3	2017	10

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 6 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

आर्थिक मामले विभाग में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों में 15 मामले लंबित हैं।

(ग): जी हां। यह प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से समय-समय पर संसूचना प्राप्त होती रहती है। हालांकि, ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(घ): देश में भ्रष्टाचार-मुक्त कर-प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) विभागीय पोर्टल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया व शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक मुखबिर (व्हीसल ब्लोअर) हेतु ऑन लाइन प्रणाली स्थापित की गई है।

(ii) उच्च डिजीटलीकरण जैसे ई-फाइलिंग, ई-मूल्यांकन, ई-अपील, ई-निवारण की शुरुआत होने से करदाता के साथ मानव इंटरफेस में कमी।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि आकलन अधिकारी विधिवत प्रक्रिया के अनुपालन के बिना, सीमित छानबीन के मामले में जांच के क्षेत्र में वृद्धि न करें।

(iv) किसी गड़बड़ी की संभावना से बचने के लिए सर्वेक्षण करने के दौरान और सर्वेक्षण के बाद के संचालनों में विशिष्ट जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(v) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से गलियारों और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है।

(vi) दोषपूर्ण जांच रिपोर्ट की घटनाओं को कम करने के लिए जांच अधिकारियों के लिए जांच-सूचियां और मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

(vii) भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और व्यवस्थित सुधार के सुझाव देने के लिए आंचलिक अपर महानिदेशकों द्वारा व्यवस्था अध्ययन किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार ने देश में व्यापक रुप से भ्रष्टाचार मुक्त कर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं- निवारक सतर्कता, प्रणालीगत एवं प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी-व्यापार इंटरफेस कम करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाना तथा मजबूत निवारक सतर्कता तंत्र। भ्रष्टाचार मुक्त कर प्रशासन स्थापित करने के लिए दंडात्मक, निवारक एवं सहभागी सतर्कता के क्षेत्र में नियमित कार्रवाई करने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

*****